1. राष्ट्रीय हित

टाटा समूह उन देशों के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां यह कार्यरत है. कोई भी टाटा कंपनी ऐसे किसी प्रोजेक्ट या गतिविधि से जुड़ी नहीं रहेगी, जिससे उन समुदायों के व्यापक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जिनके बीच यह काम करती है.

किसी टाटा कंपनी की प्रबंधकीय पद्धतियों एवं व्यावसायिक आचरण से उस देश एवं उन क्षेत्र व समुदायों को यथासंभव एवं यथासाध्य लाभ होना चाहिए, जिनके बीच वह काम करती है, और यह आचरण प्रत्येक देश के कानून के अनुरूप होना चाहिए.

एक टाटा कंपनी, व्यवसाय से जुड़ी अपनी गतिविधियों के दौरान उस प्रत्येक देश एवं क्षेत्र की संस्कृति, रीतियों एवं परंपराओं का आदर करेगी, जहां यह काम करती है. यह लाइसेंसिंग, डॉक्यूमेन्टेशन एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं, जो भी लागू हो, सहित सभी व्यापारिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी.

2. वित्तीय रिपोर्टिंग एवं रिकार्ड

एक टाटा कंपनी अपना लेखा न्यायोचित और बिल्कुल सटीक ढंग से तथा कंपनी जिस देश में व्यावसायिक कामकाज करती है, वहां के लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मानकों, आम तौर पर मान्य दिशानिर्देशों, सिद्धांतों, मानकों, कानूनों एवं नियमों के अनुसार तैयार करेगी और रखेगी.

आंतरिक अकाउंटिंग एवं अंकेक्षण की प्रक्रियाएं न्यायोचित एवं बिल्कुल सटीक रूप से कंपनी के सभी व्यावसायिक लेनदेन एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति को प्रतिबिंबित करेंगी एवं उन पर इस प्रकार का आंतरिक नियंत्रण होगा, जिससे कंपनी के निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों को यह विश्वास हो सके कि सभी लेन-देन बिल्कुल सही एवं वैध हैं. कंपनी के अंकेक्षकों एवं अन्य अधिकृत पक्षों एवं सरकारी एजेन्सियों के लिए सभी जरूरी सूचनाएं सहजता से उपलब्ध होंगी. खातों एवं अभिलेखों से कंपनी के किसी भी लेन-देन को जानबूझकर छिपाया-नहीं जाएगा, आय की अग्रिम सूचना दर्ज नहीं की जाएगी और किसी प्रकार का गोपनीय बैंक अकाउंट या कोष नहीं रहेगा.

वित्तीय लेखा एवं रिपोर्टों के बारे में किसी प्रकार की जानबूझकर की गयी और तथ्य संबंधी गलतबयानी एवं/या गलत सूचना देने को इस संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए संबंधित कानून के तहत उपयुक्त सिविल या आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की अनुचित राशि, अवैध कमीशन या रिश्वत का न तो भुगतान करेगा, न इस प्रकार के किसी भुगतान को अधिकृत करेगा और न ही ऐसे किसी भुगतान को प्रोत्साहन देगा या उसमें सहयोग करेगा.

3. प्रतिस्पर्द्धा

एक टाटा कंपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक, खुले बाजार के विकास एवं संचालन का पूरी तरह से समर्थन करेगी और ऐसे प्रत्येक देश एवं बाजार में व्यापार और निवेश के उदारीकरण को प्रोत्साहित करेगी, जहां वह कार्यरत है. खासकर, कोई भी टाटा कंपनी या कर्मचारी व्यापार की प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं, बाजार में अपने आधिपत्य के दुरुपयोग एवं इसी प्रकार की अन्य अनुचित व्यापारिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा.

एक टाटा कंपनी या कर्मचारी अपने उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन उनकी खूबियों के आधार पर ही करेगा और अपने प्रतिद्वंद्वियों के उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में अनुचित एवं भ्रामक तथ्यों की घोषणा नहीं करेगा. किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचना सामान्य ढंग से व्यवसाय के दौरान ही, और केवल कानून के तहत मान्य स्रोतों एवं माध्यमों के जरिए ही, एकत्रित की जाएगी.

4. समान--अवसर नियोक्ता

एक टाटा कंपनी रोजगार के मामले में अपने सभी कर्मचारियों एवं सभी योग्य आवेदकों को एकसमान अवसर प्रदान करेगी और इसके लिए उनकी नस्ल, जाति, धर्म, रंग, खानदान, वैवाहिक स्थिति, लिंग, यौन प्रवृत्ति, आयु, राष्ट्रीयता, जातीय उत्पत्ति या शारीरिक असमर्थता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

मानव संसाधन नीतियां ऐसी होंगी, जो कार्यस्थल पर विविधता एवं समभाव तथा सभी स्थानीय श्रम कानूनों के अनुपालन को प्रोत्साहित करें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धतियों को अपनाये जाने को भी बढ़ावा दें.

एक टाटा कंपनी के कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक और कामकाज के परिवेश को हर प्रकार के उत्पीड़न, चाहे वह शारीरिक हो या मौखिक अथवा मनोवैज्ञानिक, से मुक्त रखने की टाटा नीति के अनुरूप, व्यवहार किया जाएगा. कर्मचारी से संबंधित नीतियां व कार्यपद्धतियां इस प्रकार संचालित होंगी कि ये लागू कानूनों एवं इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अनुरूप हों तथा प्राइवेसी व सुनवाई के अधिकार का सम्मान करें और सभी मामलों में योग्य लोगों को समान अवसर प्रदान किये जाएं तथा सभी निर्णय गुण के आधार पर ही लिए जाएं.

5. उपहार एवं दान

एक टाटा कंपनी एवं इसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से किसी प्रकार का अवैध भुगतान, पारिश्रमिक, उपहार, दान, या इसी प्रकार का अन्य कोई फायदा, जिसका उद्देश्य इसके व्यवसाय से संबंधित गैर-प्रतिस्पर्द्धी फायदे हासिल करना हो, या ऐसा प्रतीत होता हो, न तो प्राप्त करेंगे, न देंगे, न ही इसकी पेशकश करेंगे. कंपनी हर प्रकार की रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करेगी.

पर, कोई टाटा कंपनी एवं इसके कर्मचारी, सम्पूर्ण तथ्योद्घाटन करते हुए, साधारण उपहार, स्वीकार कर और दे सकते हैं, बशर्ते ये ऐसे उपहार हों, जो पारंपरिक रूप से दिये जाते हों और/या प्रतीकात्मक प्रकृति के हों. प्रत्येक कंपनी उपहारों एवं आदर-सत्कार से संबंधित अपने नियमों एवं विनियमों को स्पष्ट करने के लिए एक नीति बनाएगी, जिसका उपयोग उसके कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए किया जाएगा.

6. सरकारी एजेंसियां

एक टाटा कंपनी एवं इसके कर्मचारी किसी भी सरकारी एजेंसी या उसके प्रतिनिधि को अपने हक में आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु अनुदान के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या मध्यस्थों के जरिए, कंपनी का कोई भी कोष या संपत्ति नहीं देंगे या देने की पेशकश नहीं करेंगे, यदि लागू कानूनों के तहत ऐसा करना आवश्यक न हो तो. एक टाटा कंपनी सरकार के खरीद संबंधी नियमों का अनुपालन करेगी और सरकारी एजेन्सियों के साथ अपने सभी प्रकार के संव्यवहार (dealings) में पारदर्शी बनी रहेगी.

7. राजनीतिक निरपेक्षता

एक टाटा कंपनी जिस देश में काम करती है, उस देश के संविधान एवं शासन प्रणालियों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी और उनका समर्थन करेगी.

एक टाटा कंपनी किसी भी राजनीतिक पद हेतु किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी. कंपनी का आचरण ऐसा होना चाहिए, जिसमें ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत न हो, जिसे किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के साथ आपसी निर्भरता/ फायदेमंद रिश्ता समझा जा सके और कंपनी किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या अभियान को दान के रूप में कंपनी का कोई भी कोष या संपत्ति नहीं देगी और न ही देने की पेशकश करेगी.

8. स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण

एक टाटा कंपनी अपने लोगों को कामकाज हेतु एक सुरक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ एवं अर्गोनॉमिक दृष्टि से उपयुक्त माहौल प्रदान करने का प्रयास करेगी. वह जिस क्षेत्र में कार्यरत है, वहां लागू स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन करेगी. एक टाटा कंपनी कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. यह प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय रोकेगी और पर्यावरण में सुधार, खासकर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के परिप्रेक्ष्य में, लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों में मौसम में बदलाव से होनेवाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी.

एक टाटा कंपनी, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के उत्पादन व विपणन के क्रम में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता (sustainability) हासिल करने हेतु प्रयासरत रहेगी.

9. उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता

एक टाटा कंपनी ग्राहकों के लिए पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु विश्वस्तरीय गुणवत्ता मानकों वाले, एवं ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप आफ्टर-सेल्स सर्विस से युक्त, उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. कंपनी के उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर लागू राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा.

एक टाटा कंपनी अपने उत्पादों की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त लेबेल, चेतावनियां एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित करेगी.

10. कॉर्पोरेट नागरिकता

एक टाटा कंपनी एक अच्छा कॉर्पोरेट नागरिक बनने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, न केवल संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुपालन में, बल्कि जिन समुदायों के बीच यह काम करती है, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करने में भी. कंपनी अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा देने और सामुदायिक समूहों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

टाटा कंपनियों को सामाजिक विकास से संबंधित गतिविधि के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु टाटा 'कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रोटोकॉल' में उल्लिखित प्रावधानों के'अनुसार समय-समय पर व्यवस्थित प्रक्रियाएं विकसित करने और प्रबंधकीय समीक्षाएं संचालित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है.

कंपनी इन गतिविधियों को ऐच्छिक नहीं समझेगी, बल्कि उसे चाहिए कि वह इन्हें अपने बिजनेस प्लान का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रयासरत रहे.

11. टाटा कंपनियों के बीच सहयोग

एक टाटा कंपनी अन्य टाटा कंपनियों के साथ, जिनमें संबंधित संयुक्त उपक्रम भी शामिल हैं, ज्ञान तथा भौतिक, मानव व प्रबंधकीय संसाधनों की साझेदारी करते हुए सहयोग करेगी और विवादों को सौहार्द्रपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेगी, बशर्ते इससे उसके अपने व्यावसायिक हितों एवं शेयरधारक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो.

उत्पादों एवं सेवाओं की खरीद में एक टाटा कंपनी दूसरी टाटा कंपनियों को प्राथमिकता देगी, बशर्ते वे ये उत्पाद या सेवाएं तीसरे पक्षों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धी शर्तों पर उपलब्ध करा सकती हों.

12. कंपनी एवं समूह का सार्वजनिक रूप से प्रतिनिधित्व

टाटा समूह आम जनता एवं अपने भागीदारों की सूचना संबंधी जरूरतों का सम्मान करता है. सार्वजनिक परिक्षेत्रों, मसलन मीडिया, वित्तीय समुदाय, कर्मचारियों, शेयरधारकों, एजेंट, फ्रैन्चाइजी, डीलर, वितरकों एवं आयातकों को कंपनी एवं व्यवसाय से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु इसकी सभी सार्वजनिक उपस्थितियों (public appearances) में किसी टाटा कंपनी या टाटा समूह का प्रतिनिधित्व केवल खास तौर पर अधिकृत निदेशकों या कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा. कंपनी या समूह से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने की जिम्मेवारी केवल इन अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा ही निभायी जाएगी.

13. तृतीय पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व

ऐसी पार्टियां जिनका टाटा समूह के साथ व्यावसायिक लेनदेन है, पर जो समूह के सदस्य नहीं हैं, मसलन कन्सल्टेन्ट, एजेन्ट, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव, वितरक, चैनेल पार्टनर, ठेकेदार एवं सप्लायर इत्यादि, टाटा कंपनी की लिखित अनुमति के बिना, और /या यदि उनका व्यावसायिक एवं नैतिक आचरण इस संहिता के अनुरूप न हो तो, किसी टाटा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत नहीं की जाएंगी.

तीसरे पक्षों एवं उनके कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे एक टाटा कंपनी के साथ, और उसकी ओर से, अपनी अंतरक्रिया में इस संहिता का अनुपालन करें. टाटा कंपनियों को सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखने के लिए तीसरे पक्षों के साथ गैर-प्रकटीकरण (non-disclosure) करार पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है.

14. टाटा ब्रान्ड का उपयोग

टाटा नाम एवं ट्रेडमार्क का उपयोग टाटा सन्स द्वारा जारी मैन्युअल, संहिताओं एवं करारों द्वारा संचालित होगा. टाटा ब्रान्ड का उपयोग टाटा ब्रान्ड इक्विटी ऐंड बिजनेस प्रोमोशन एग्रीमेन्ट द्वारा परिभाषित एवं विनियमित है. कोई भी तीसरा पक्ष या संयुक्त उपक्रम खास तौर पर अधिकृत किये बिना अपने हित में टाटा ब्रान्ड का उपयोग नहीं करेगा.

15. समूह की नीतियां

एक टाटा कंपनी अपने निदेशक मंडल से टाटा सन्स द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जानेवाली नीतियों एवं दिशा-निर्देशों को अपनाने की अनुशंसा करेगी.

16. शेयरधारक

एक टाटा कंपनी शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करने एवं शेयरधारकों के अधिकारों को शासित करनेवाले सभी नियमों एवं कानूनों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. एक टाटा कंपनी का निदेशक मंडल अपने शेयरधारकों को कंपनी के

व्यवसाय के सभी प्रासंगिक पहलुओं के बारे में विधिवत एवं उपयुक्त तरीके से सूचित करेगा और ऐसी सूचनाएं संबंधित नियमों एवं समझौतों के अनुसार प्रकट की जाएंगी.

17. नैतिक आचरण

किसी टाटा कंपनी का हर कर्मचारी, जिसमें पूर्णकालिक निदेशक एवं चीफ एक्जीक्यूटिव भी शामिल हैं, जिस देश में वह कार्यरत है वहां की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवहार करेगा और कंपनी की ओर से पेशेवर तरीके, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के साथ काम करेगा तथा उसका आचरण उच्च नैतिक प्रतिमानों के अनुरूप होना चाहिए. उसका ऐसा आचरण न्यायोचित और पारदर्शी होना चाहिए और तीसरे पक्षों को ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए.

किसी टाटा कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी हर व्यक्ति, एवं समुदाय के मानवाधिकारों, की रक्षा करेगा और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास करेगा.

प्रत्येक कर्मचारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वह अपने दायरे में इस संहिता का क्रियान्वयन एवं अनुपालन करे. कर्मचारी द्वारा टीम के सदस्यों को भी इसका अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस संहिता का अनुपालन करने में विफल होने पर गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और नौकरी भी समाप्त की जा सकती है.

18. वैधानिक अनुपालन (Regulatory Compliance)

एक टाटा कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी उन सभी क्षेत्रों में, जहां वह काम करता है, अपने व्यावसायिक आचरण में सभी लागू कानूनों एवं नियमों का अनुपालन करेगा, अक्षरश : भी और भाव में भी. यदि संबंधित कानूनों एवं नियमों में परिभाषित नैतिक एवं पेशेवर मानक संहिता से कमतर हैं, तो ऐसी स्थिति में इस संहिता के मानक ही प्रभावी होंगे.

एक टाटा कंपनी के निदेशक सभी संबंधित नियामक एवं अन्य प्रकार के प्राधिकारों के लागू कानूनों एवं नियमों का अनुपालन करेंगे. अच्छी शासन पद्धति (governance practice) के तौर पर वे उन सभी सूचनाओं की गोपनीयता की सुरक्षा करेंगे, जो उन्हें अपने ओहदे की वजह से प्राप्त होती हैं.

19. समवर्ती नियोजन (Concurrent Employment)

संबंधित नियमों के अनुरूप ही किसी भी टाटा कंपनी का एक कर्मचारी कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव की, आवश्यक एवं आधिकारिक तौर पर लिखित अनुमति के बिना, किसी भी अन्य कंपनी में रोजगार या दायित्व वाला कोई पद

(जैसे कि कन्सल्टेन्ट या निदेशक) स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को, पारिश्रमिक लेकर या बिना पारिश्रमिक, "फ्री-लान्स " सेवाएं प्रदान करेगा. किसी पूर्णकालिक निदेशक या चीफ एक्जीक्यूटिव के मामले में ऐसी अनुमति कंपनी के निदेशक मंडल से लेना अनिवार्य है.

20. हितों में टकराव

किसी टाटा कंपनी का कोई कर्मचारी या निदेशक हमेशा कंपनी के हित में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत जुड़ाव से कंपनी के कामकाज, एवं उसमें उसकी अपनी भूमिका से, हितों में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो.

किसी टाटा कंपनी का एक कर्मचारी, जिसमें कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर) भी शामिल है, विशेष मंजूरी के बिना किसी भी अन्य गैर-टाटा कंपनी या गैर-मुनाफा संगठन में जिम्मेवारी वाला कोई पद स्वीकार नहीं करेगा.

उपरोक्त निम्नलिखित (चाहे वह पारिश्रमिक के बदले में हो, या न हो) पर लागू नहीं होगा :

- ***a)*** टाटा कंपनियों, इनके संयुक्त उपक्रमों एवं सहयोगी कंपनियों के निदेशक मंडल में नामांकन ;
- ***b)*** शैक्षणिक/पेशेगत संघों की सदस्यता/दायित्व वाले पद जहां ऐसे संबंध से कर्मचारी/टाटा कंपनी को फायदा होता हो.
- ***c)*** सरकारी समितियों/निकायों या संगठनों में नामांकन/सदस्यता;
- **d)** आपवादिक परिस्थितियां, जिनका निर्धारण सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया गया हो.

सभी कर्मचारियों के मामले में सक्षम पदाधिकारी चीफ एक्जीक्यूटिव ही होंगे, जो ऐसे सभी आपवादिक मामलों के बारे में निदेशक मंडल के समक्ष तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. चीफ एक्जीक्यूटिव एवं कार्यकारी निदेशकों के मामले में ग्रुप कॉर्पोरेट सेंटर ही सक्षम प्राधिकार होगा.

किसी टाटा कंपनी का कोई कर्मचारी या निदेशक ऐसे किसी व्यवसाय, संबंध या गतिविधि से नहीं जुड़ेगा, जिससे उसकी कंपनी या टाटा समूह के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो. हितों में टकराव, वास्तविक या संभावित, तब हो सकता है जब, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से...

(a) किसी टाटा कंपनी का कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति, जो उसकी कंपनी के साथ किसी प्रकार के संव्यवहार (transaction) में एक पक्ष है, के साथ किसी व्यवसाय, संबंध या गतिविधि से जुड़ता है,

(b) कोई कर्मचारी ऐसी स्थिति में हो, जहां वह किसी संव्यवहार से जुड़े फैसले कर, या फैसलों को प्रभावित कर, अपने या अपने किसी रिश्तेदार के हक में, कोई अनुचित फायदा, हासिल कर सकता है,
(c) कंपनी या समूह के सर्वश्रेष्ठ हितों के बारे में निरपेक्ष रूप से फैसला करना संभव नहीं हो.

हितों में ऐसे वास्तविक या संभावित टकराव के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(a) किसी टाटा कंपनी के किसी कर्मचारी या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा अपनी कंपनी की ओर से व्यवसाय संचालित करना या उसका ऐसी स्थिति में होना, जहां वह अपनी कंपनी के साथ किसी सप्लायर या ग्राहक, जिसमें उसका कोई रिश्तेदार मुख्य अधिकारी या प्रतिनिधि हो, के व्यवसाय से संबंधित फैसले को प्रभावित कर सकता हो, जिससे उसे या उसके रिश्तेदार को फायदा होता हो.
(b) किसी टाटा कंपनी के किसी कर्मचारी के किसी रिश्तेदार को ऐसा लाभ देना, मसलन वेतन में बढ़ोतरी, या कोई अन्य पारिश्रमिक, पदस्थापन, प्रोन्नति या भर्ती, जहां वह कर्मचारी ऐसे लाभ से संबंधित फैसले को प्रभावित करने की स्थिति में हो.
(c) कंपनी या समूह के हितों को नुकसान पहुंच सकता हो या उनपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो.

हितों में टकराव के ऐसे, या इसी प्रकार के अन्य मामले, ऐतिहासिक कारणों से मौजूद हों तो भी, संबंधित कर्मचारियों द्वारा कंपनी के प्रबंधन के समक्ष पर्याप्त एवं सम्पूर्ण रूप से प्रकटीकरण (disclosure) किया जाना चाहिए. प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व भी है कि वह किसी ऐसे पारिवारिक व्यवसाय या कंपनी या फर्म, जो उसकी कंपनी का एक प्रतिद्वंद्वी, सप्लायर, ग्राहक, वितरक हो या उसकी कंपनी से अन्य प्रकार के व्यावसायिक संबंध रखता हो, में कर्मचारी या कर्मचारी के अपने परिवार, जिसमें उसके माता-पिता, पति/पत्नी एवं बच्चे शामिल हैं, के किसी प्रकार के हित (interest) के जुड़े होने के बारे में सम्पूर्ण रूप से प्रकटीकरण (full disclosure) करे.

इस संबंध में निर्णय किये जाने पर संबंधित कर्मचारी के लिए यह जरूरी होगा कि वह हित में टकराव को दूर करने के लिए, दी गयी सलाह के अनुसार, आवश्यक कदम उठाये.

यदि कोई कर्मचारी जरूरी तथ्योद्घाटन करने में असफल रहता है और प्रबंधन को अपने माध्यमों से हित में टकराव के किसी ऐसे मामले के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में कर्मचारी द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए थी, तो प्रबंधन ऐसे मामले को गंभीरता से लेगा और कर्मचारी के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करेगा.

21. प्रतिभूतियों का लेन-देन एवं गोपनीय सूचना

किसी भी टाटा कंपनी का कोई कर्मचारी एवं उसका अपना परिवार कंपनी, समूह या इसके ग्राहक या सप्लायर से संबंधित ऐसी सूचना, जो सार्वजनिक न हुई हो और इस प्रकार अप्रकाशित और मूल्य की दृष्टि से संवेदनशील इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, तक अपनी पहुंच या इसकी जानकारी से न तो किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करेगा, न ही किसी को ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिए कोई मदद या परामर्श देगा.

किसी टाटा कंपनी का कोई कर्मचारी ऐसी सूचना, जो निवेश करनेवाली पब्लिक को उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार इनसाइडर इन्फॉर्मेशन समझी जाएगी, का संबंधित टाटा कंपनी, समूह, ग्राहक या सप्लायर, जिसके संबंध में इस प्रकार का इनसाइडर इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया गया है, की प्रतिभूतियों से संबंधित निवेश संबंधी फैसले करने या इसके लिए परामर्श देने हेतु उपयोग या प्रसार नहीं करेगा.

इस प्रकार के इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल (बगैर सीमा) हो सकते हैं:

- व्यवसायों या व्यावसायिक इकाइयों का अधिग्रहण और विनिवेश.
- वित्तीय सूचना, मसलन लाभ, आमदनी एवं लाभांश से संबंधित.
- नये उत्पादों की शुरुआत या विकास के बारे में घोषणा.
- एसेट रिवैल्यूएशन.
- निवेश संबंधी निर्णय /योजनाएं
- संरचनात्मक पुनर्गठन संबंधी योजनाएं.
- सप्लाई एवं डिलीवरी से संबंधित बड़े समझौते.
- वित्त की व्यवस्था.

किसी टाटा कंपनी का कोई कर्मचारी अन्य कंपनियों, उनके पेटेन्ट, बौद्धिक संपदा अधिकारों, ट्रेडमार्क एवं आविष्कारों से संबंधित सूचनाओं की गोपनीयता का भी सम्मान करेगा और इन्हें जाहिर न करने की नीति का पालन कड़ाई से करेगा.

22. कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा

किसी टाटा कंपनी की परिसंपत्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका उपयोग, मुख्यत : और समझदारीपूर्वक, व्यवसाय के उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाएगा, जिसके लिए यह विधिवत अधिकृत है. इनमें शामिल हैं ठोस परिसंपत्तियां, मसलन उपकरण एवं मशीनरी, सिस्टम्स, सुविधाएं, सामग्रियां, संसाधन तथा निहित परिसंपत्तियां, मसलन इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं सिस्टम्स, स्वत्व संबंधी सूचनाएं, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों एवं सप्लायरों के साथ संबंध, इत्यादि.

23. नागरिकता

एक टाटा कर्मचारी नागरिक या सार्वजनिक मामलों में भागीदारी अपनी कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव से स्पष्ट अनुमति मिलने के बाद कर सकेगा, बशर्ते उसकी इस भागीदारी से कंपनी या टाटा समूह के व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो.

24. उपलब्ध कराये जानेवाले आंकड़ों की सत्यता

किसी टाटा कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी, हर समय, अपने द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराये जानेवाले आंकड़े या सूचना की सत्यता सुनिश्चित करेगा. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी पूरी तरह से उसपर होगी कि सभी आंकड़ों की गोपनीयता बरकरार रखी जाए और सामान्य कामकाज के दौरान प्रबंधन से स्पष्ट दिशानिर्देश, या अनुमति, के बिना किसी भी स्थिति में इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति/पक्ष को स्थानांतरित न किया जाए.

25. सरोकारों के बारे में सूचना देना

एक टाटा कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी, जब भी उसे इस संहिता के किसी वास्तविक या संभावित उल्लंघन के बारे में या किसी प्रकार के दुराचार की घटना, कुचालयुक्त कृत्य (act of misdemeanour) या किसी ऐसे कृत्य, जो कंपनी के हित में न हो, की जानकारी होती है, इसके बारे में तत्काल प्रबंधन, एवं/या थर्ड पार्टी एथिक्स हेल्पलाइन को सूचना देगा. इस प्रकार की सूचना देने की सुविधा सप्लायरों एवं साझीदारों को भी उपलब्ध करायी जाएगी.

कोई भी टाटा कर्मचारी कंपनी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, जिसमें निदेशक मंडल की ऑडिट कमिटी के अध्यक्ष या निर्धारित प्राधिकार को सूचना देने का प्रावधान शामिल है, के तहत सुरक्षित जानकारी प्रकट कर सकता है. जब इस बात का तर्कसंगत प्रमाण हो कि संहिता का उल्लंघन किया गया है, या इसकी संभावना है, तो प्रकट की गयी ऐसी सुरक्षित जानकारी को एक कवरिंग लेटर, जिसमें व्हिसल ब्लोअर की पहचान अंकित हो, के साथ अग्रसारित कर दिया जाएगा.

कंपनी व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और उसे डराने की किसी प्रकार की कोशिश को इस संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा.

<u>कृपया ध्यान दें:</u>

यह संहिता उन नियमों, जिनका अनुपालन करने को कर्मचारी आबद्ध हैं, की पूरी, विस्तृत और सम्पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करती. यह कर्मचारियों का सतत दायित्व है कि वे सभी लागू नियमों, कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं एवं काम संबंधी नियमों के बारे में जानकारी हासिल करते रहें.

सभी संयुक्त उपक्रम टाटा आचार संहिता, या टाटा आचार संहिता के सभी अवयवों को शामिल करते हुए बनायी गयी एक संयुक्त आचार संहिता को अपना सकते हैं.

"टाटा आचार संहिता का यह संस्करण पूर्व के सभी संस्करणों एवं सम्बद्ध दस्तावेजों को अधिक्रमित करता है और यह 1 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी माना जाएगा."